प्रेस–नोट

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

मुख्य आरक्षक सात सौ रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 25 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को पुलिस थाना अंबामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मुख्य आरक्षक, श्री चन्द्र शेखर पुलिस चौकी जवास, पुलिस थाना खेरवाड़ा को सात सौ रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

श्री वी.के. सिंह, महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि परिवादी श्री कालूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण डामोर (मीणा) निवासी सामीतेड पुलिस थाना खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मय श्री थावरचंद रावत पुत्र श्री मणी लाल रावत निवासी गांव कनबई पुलिस थाना पहाडा, जिला उदयपुर ने दिनांक 15.10.16 को ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई कि परिवादी के विरूद्ध पारिवारिक न्यायालय उदयपुर से जारी वसूली वारण्ट अन्तर्गत धारा 125 CRPC अदम तामील भिजवाने की एवज में श्री चन्द्रशेखर, मुख्य आरक्षक ने एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की जिसमें से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 300 रूपये परिवादी से पूर्व में ले लिए।

ब्यूरो टीम डूंगरपुर द्वारा शिकायत के सत्यापन के उपरान्त ट्रेप का आयोजन कर पुलिस चौकी जवास, पुलिस थाना खेरवाड़, जिला उदयपुर में पदस्थापित मुख्य आरक्षक, श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री घनश्याम लाल चौबीसा को सात सौ रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

– – –